न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 60/2020

प्रार्थीः—

पहाडसिंह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1 पपीया पुत्र फुसा जाति भील निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2 बाबुराम पुत्र फुसा जाति भील निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3 भोपाराम पुत्र फुसा जाति भील निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4 श्रीमती सुखी पत्नि फुसा जाति भील निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5 सवा पुत्र फुसा जाति भील निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6 छैलसिह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी कांखी
7 शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू
8 शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोकलसर
9 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :— 1. श्री किशोरलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण इकबाली जबाब

—: आदेश :—

दिनांक :—15.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 610/214 रकबा 07—6243 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा कांखी पटवार क्षेत्र पंऊ में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के [illegible] पूर्व दिशा [illegible] विप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 215,611/214 में से होकर [illegible] तक जाता है जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न [illegible] नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है प्रार्थी के खेत से सडक मार्ग तक आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खेत की उत्तर दिशा पर अवस्थित प्रचलित रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में वरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। बरसात के मौसम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:40 IST
Reason: SelfAttested

में विप्रार्थीगण उक्त प्रचालित रास्ते की भूमि पर काश्त कर एवं बाड बनाकर रास्ता अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थी के आने–जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज. रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया । मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

पेशी दिनांक 20.11.2020 को विप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका पत्रांक राजस्व/2020/933 दिनांक 23.11.2020 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 215,611/214 में आवगमन हेतु चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया गया। मौका फर्द पर पक्षकरान द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

हमने प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने निवेदन किया विप्रार्थीगण द्वारा श्री न्यायालय में हाजिर होकर उक्त रास्ता घोषित करने बावत सहमति जाहिर कर राजीनामा प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को घोषित करवाने हेतु सहमति दी है। जो तस्दीक सुदा है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । प्रार्थी के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए एंव विप्रार्थीगण के सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 610/214 सरहद मौजा कांखी पटवार मण्डल पंऊ में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 215,611/214 में से 13 फीट (2 ग[illegible] रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के [illegible] अनुसार [illegible] लाल 13 फीट चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नया 13 फीट के रास्ता में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज 13 फीट चौडे भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकारी अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2020/933 दिनांक 23.11.2020 द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। **चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जरिये राजीनामा बिना प्रतिफल के विप्रार्थीगण देने हेतु तैयार है इसलिए विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।**

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 15.01.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:40 IST
Reason: SelfAttested

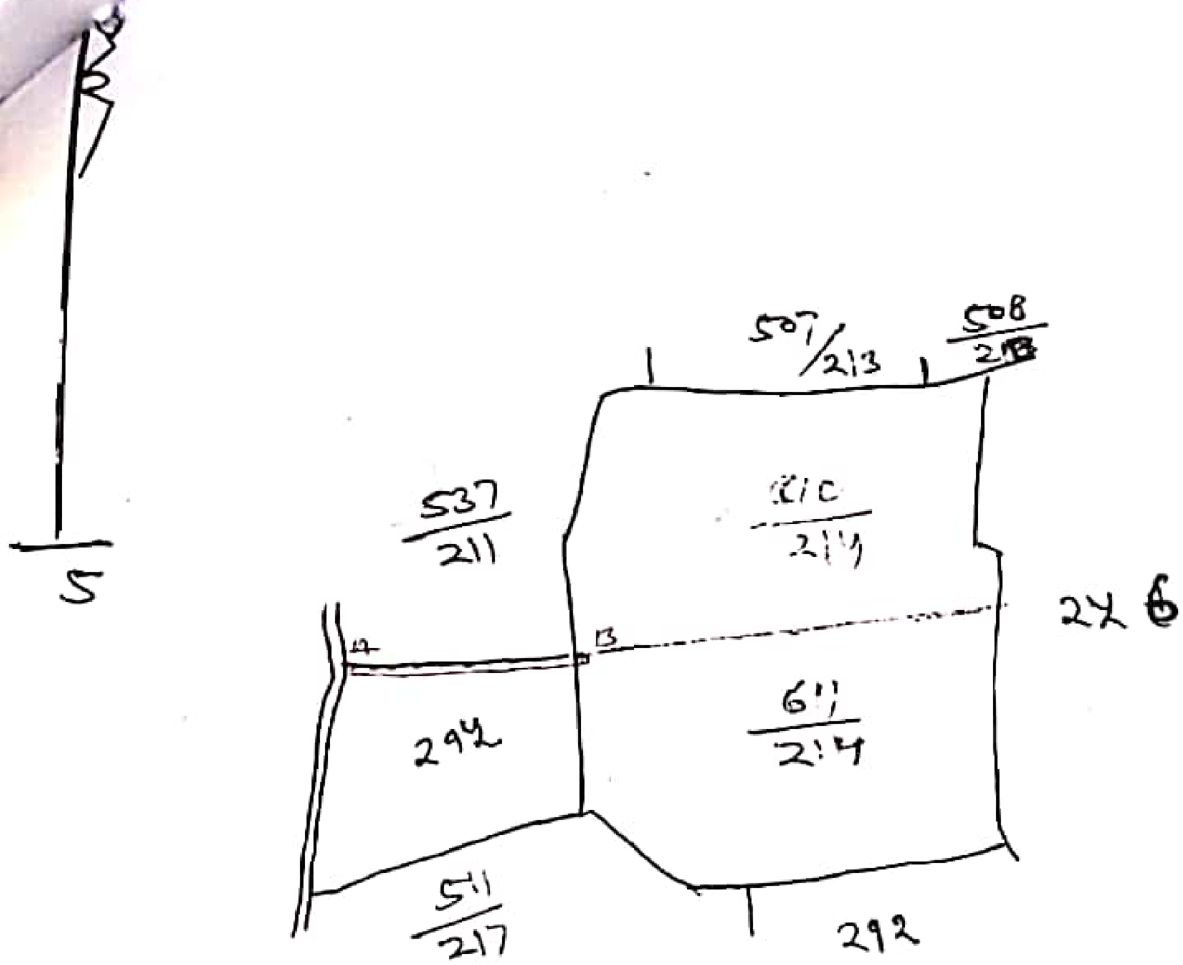

संकेत (=) मार्ग प्रस्तावित मार्ग A से B (रास्ता)

उपखण्ड अधिकारी
सियाना (बाड़मेर)

05.11.2020
पटवारी

5.11.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:40 IST
Reason: SelfAttested